

राजस्थान राजपत्रRAJASTHAN GAZETTE
ExtraordinaryविशेषांकRadiationसाधिकार प्रकाशितPublished by Authorityआश्विन 14, बुधवार, शाके 1943-अक्टूबर 06, 2021Asvina 14, Wednesday, Saka 1943- October 06, 2021

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 06, 2021

जी.एस.आर.355 :-राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994) का अधिनियम सं. 13) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पंचायती राज (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 157 का संशोधन.- राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के उप-नियम (1) के विद्यमान परंत्क के पश्चात् निम्नलिखित नया परंत्क जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 की कालावधि के दौरान फीस, खण्ड (i) और (ii) के अधीन विनिर्दिष्ट दरों के पचास प्रतिशत के समतुल्य की दर से प्रभारित की जायेगी।"

> [सं. एफ.139(45)पंरावि/विधि/संशो/2021/860] राज्यपाल के आदेश से, डॉ. प्रेम सिंह चारण, संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ (PANCHAYATI RAJ) NOTIFICATION

Jaipur, October 06, 2021

G.S.R.355 .-In exercise of the powers conferred by section 102 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) and all other powers enabling it in this behalf,

the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Fourth Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 157- After the existing proviso to sub-rule (1) of rule 157 of the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996, the following new proviso shall be added, namely :-

"Provided further that during the Period of Prashasan Gaon Ke Sang Abhiyan 2021, the fee shall be charged at the rate of equivalent to fifty percent of the rates specified under clause (i) and (ii) above."

[NO.F.139 (45) PR/LEGAL/AMEND/2021/860] By Order of the Governor, Dr. Prem Singh Charan, Joint Secretary to the Government.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।